महिला सशक्तिकरण हेतु बढ़ता कदम

स्वयं सहायता समूह

पूनम कालश, सविता सिंघल एवं एस.के. शर्मा

जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल परियोजना

NICRA

भाकृअनुप
ICAR

कृषि विज्ञान केन्द्र, जोधपुर

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान

आई.एस.ओ. 9001 : 2015

जोधपुर–342003, राजस्थान

2017

स्वयं सहायता समूह बनाओं, बचत करो, काम करो। आर्थिक समृद्धि और आत्म निर्भरता को प्राप्त करो।।

गाँव में कुल 75% से भी अधिक आबादी के जीवन यापन का प्रमुख आधार खेती है, ऐसे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं हैं पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य कोई आय का साधन इनके पास नहीं होता हैं। दूसरा यह कि खेती में 5 से 6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बाकी बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन व गहनों को गिरवी रखना पड़ता है, और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छुड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएं (बीमारी, मृत्यु–भोज, शादी पर्व आदि) आ जायें तो गिरवी रखने की सीमाएं बढ़ जाती हैं। बैंक शाखाओं का वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुँच वहाँ तक नही है। निर्धनों की जरूरतें छोटे ऋणों से सम्बन्धित होती है, साथ ही उनकी आवश्यकताएँ, उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी है, बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं और उधार देने से हिचकते हैं।

इस संकट से उबरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो सम्भवतः कुछ नहीं कर सकता है परन्तु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी–थोड़ी बचत करते–करते एक पूंजी जमा कर सकते है। इसी पूंजी से वे एक दूसरे की मदद करते हैं। स्पष्टतः इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान में काफी सार्थक सिद्ध हुए है।

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10–20 सदस्यों का एक स्वैछिक समूह है जो

- नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी–थोड़ी बचत करते हैं
- व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं
- सामूहिक निर्णय लेते हैं
- सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं
- समूह द्वारा तय किये गए नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं

समूह के सिद्धान्त एवं उद्देश्य

संगठन में शक्ति है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए समूह के सदस्य मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते है। स्वयं सहायता के सिद्धांत पर इसका संचालन होता है। समूह के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार हो सकते हैं –

1. परस्पर सहभागिता व सहयोग से समूह के सदस्यों की गरीबी दूर करने के प्रयास करना।
2. परस्पर सहभागिता में मितव्ययता की भावना पैदा कर नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्रतिमाह बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. समूह के सदस्यों द्वारा बचत की गई राशि से "साझा कोष" का निर्माण करना।
4. समूह के सदस्यों को आय उपार्जन के लिए और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए जरूरत के अनुसार "साझा कोष" में से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
5. बचत व साख समूह के रूप में काम करते हुए समूह के सदस्यों को बैंकिंग जैसी व्यवसायिक प्रक्रिया से परिचित कराना।
6. समूह के सदस्यों में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की भावना पैदा करना ।
7. समूह के सदस्यों को समाज–परिवार में व्याप्त सामाजिक बुराइयों (बाल विवाह, विधवा विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, मदिरापान, अशिक्षा आदि) के प्रति जागरूक करना।
8. समूह के निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाना।
9. सरकार द्वारा गरीबों के व विशेषकर महिलाओं के हितार्थ चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा कर समूह के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना और पात्र सदस्यों को इन योजनाओं का लाभ दिलाना।

कार्यकारिणी समिति-

1. समूह की एक तीन सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होंगे।

2. कार्यकारीणी समिति के इन तीन पदाधिकारियों को चुनाव समूह की प्रथम बैठक में ही, यथा संभव सर्वसम्मति से अन्यथा लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा बहुमत से किया जावेगा।
3. यह कार्यकारिणी अधिकतम दो वर्ष तक किन्तु केवल तब तक काम करती रहेगी जब तक कि समूह का विश्वास इसे प्राप्त है। प्रत्येक दो वर्ष में कार्यकारिणी का पुनः निर्वाचन करना होगा ।
4. अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में किसी भी कार्यकारणी के सदस्य को अथवा सम्पूर्ण कार्यकारिणी को समूह की बैठक में पारित बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकेगा और पूरी कार्यकारिणी अथवा किसी एक सदस्य का पुनः निर्वाचन किया जा सकेगा।
5. समूह के नाम से जो बैंक खाता खोला जावेगा उसका संचालन कार्यकारिणी के तीन मे से दो सदस्यों द्वारा किया जायेगा किन्तु अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

बैंक में खाता खोलना :-

- समूह बनने के बाद जब पहले माह राशि जमा हो जाती है तो उस राशि से समूह के नाम से बैंक में खाता खोलना चाहिये।
- खाता खोलने के लिये समूह की पहली बैठक में खाता खोलने संबंधित जो प्रस्ताव बनाया व पारित किया जाता है, उसकी एक प्रति, पर सभी सदस्यों व पदाधिकारियों के हस्ताक्षर, अध्यक्षा, कोषाध्यक्ष व सचिव की फोटो की एक–एक प्रति की आवश्यकता होती है।
- खाते का संचालन अध्यक्षा, कोषाध्यक्षा व सचिव के नाम से होता है।

बैंक से ऋण :-

स्वयं सहायता समूहों की सामूहिक बचत पूँजी थोड़ी होती है इसलिए समूह की पूँजी को बैंक ऋण से जोड़ कर उसे बढ़ाकर सदस्यों को स्वयं आय साधन के लिए प्रयास करना होता है। परन्तु औपचारिक रूप से बैंकिग संगठन बैंक शाखा से संबंध करने की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं–

- समूह सामान्यतः न्यूनतम छः महीने की अवधि से सक्रिय हो।
- समूह द्वारा अपने निजी स्त्रोतों से बचत एवं ऋण वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया गया हो।
- समूह द्वारा ऋण वितरण का लेखा–जोखा सही ढंग से रखा गया हो।
- सामान्यतः बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने का अनुपात 1:1 (जितनी बचत उतना ऋण) से 1:4 (बचत के चार गुना ऋण) तक होता है। लेकिन अगर बैंक समूह के बारे में संतुष्ट है तो ऋण इससे ज्यादा 10 गुना तक भी दिया जा सकता है।

प्रायः स्वयं सहायता समूह स्थायी नहीं होते, इसलिए समूह के स्थायित्व के लिए उसे किसी उत्पादक कार्य से जोड़ना चाहिए। इससे समूह के सदस्यों की आय में वृद्धि होगी साथ ही गाँव के अन्य लोगों को रोजगार

भी मिलेगा। किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए तकनीकी ज्ञान व कौशल आदि की आवश्यकता होती हैं। किन्तु ग्रामीणों में जानकारी का अभाव होने के कारण वे अपने कदम बढ़ाने से पहले ही पीछे हटा लेते हैं। देश के प्रत्येक जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र ग्रामीणों को तकनीकी ज्ञान मुहैय्या कराने तथा धन उपार्जन हेतु स्वरोजगार अपनाने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते है। ऐसे में कृषि आधारित उद्योग आय–अर्जन का बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।

व्यवसायिक क्षेत्र

1. कृषि आधारित

- सब्जियों का निर्जलीकरण व परिरक्षण
- फल व सब्जी उगाना / औषधीय पौधे लगाना
- मशरूम की खेती
- पौध (नर्सरी) करना
- दुग्ध डेयरी उत्पादन
- केंचुए की खाद तैयार करना
- मसाले पीसना, दालें बीनना
- बकरी एवं मुर्गा पालन

2. गैर कृषि आधारित

- पापड़ व मंगोड़ी बनाना
- साबुन व वाशिंग पाऊडर बनाना
- अचार, मुरब्बा, जैम, जैली आदि बनाना
- दरी व चटाई बनाना
- बंधेज
- चॉक बनाना
- मोमबत्ती बनाना
- हस्तकला उद्योग
- सिलाई कढ़ाई, बुनाई व क्रोशिया

स्वयं सहायता समूह में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान में वृद्धि होती है क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी–छोटी बचत करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क, लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठकों की कार्रवाई संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है–

- स्वनिर्णय की शक्ति
- जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता
- सामूहिक निर्णय के मामलो में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता

- आर्थिक आत्मनिर्भरता
- कौशल विकास

सफलता की कहानी-

कृषि विज्ञान केन्द्र, काजरी, जोधपुर के गृह विज्ञान संकाय द्वारा झालामण्ड की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आय उपार्जन हेतु 3 स्वयं सहायता समूहों (जय दुर्गा माँ सहायता समूह, जय संतोषी माँ एवं विजय लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह) का गठन वर्ष 2014 में किया गया। प्रत्येक समूह में 10 महिलाओं को रखा गया। समूह का खाता ग्रामीण बैंक, झालामंड में खोला गया। 100 रूपये हर महीने प्रत्येक महिला द्वारा बचत के रूप में 6 महीने तक लगातार जमा कराये जाने के बाद बैंक से 1 लाख रूपये का ऋण "जय दुर्गा माँ स्वयं सहायता समूह" को मिला जिससे महिलाएँ आय उपार्जन की गतिविधियों (पापड़, खिंचियें, बड़ी और हस्तनिर्मित वस्तुएँ) को बढ़ा कर अच्छी आमदनी प्राप्त करते हुए समय पर बैंक की किश्त भी जमा कर रही हैं।

समूह की महिलाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र में समय–समय पर विभिन्न विषयों (आय उपार्जन के साधन, परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन आदि) पर प्रशिक्षण प्रदान कर तकनीकी सहायता दी गई जिससे कि उनके आय उपार्जन की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सके। इसके अंतर्गत 30 महिलाएँ अपनी भागीदारी निभाते हुए बचत के साथ–साथ आय उपार्जन हेतु विभिन्न गतिविधियाँ, मुख्यतः पापड़, खींचियें, बड़ी और हस्तनिर्मित वस्तुएँ बनाकर स्थानीय बाजार, प्रदर्शनियों एवं मेलों में बेच कर 2000 रू. प्रति महिला अतिरिक्त आय अर्जन करके आत्मनिर्भर होने के साथ अपने परिवार के पोषक स्तर को भी बढ़ा रही है।

प्रकाशक : निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर 342 003
सम्पर्क सूत्र : दूरभाष +91–291–2786584 (कार्यालय)
+91–291–2788484 (निवास), फैक्सः +91–291–2788706
ई–मेल : director.cazri@icar.gov.in
वेबसाईट : http://www.cazri.res.in

काजरी किसान हेल्प लाईन : 0291–2786812

Evergreen 94141 28647